न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं
अति0 कलक्टर (न्याय) व अति0 जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
(पीठासीन अधिकारी – डॉ0 गिरीश पाराशर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 02/2021 (जीसीएमएस संख्याः–2021/162)

राजस्थान सरकार जरिये संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर (राजस्थान)।

प्रार्थी

बनाम्

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत वित्तीय सलाहकार, निवासी–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।

अप्रार्थी

(परिवाद अन्तर्गत राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 बाबत् राजकीय आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर का कब्जा दिलाने।)

उपस्थितः–

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 22.09.2021**

प्रार्थी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय सम्पति है, जिसे अप्रार्थी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा को राजकीय आवास आंवटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2), विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(1)साप्र/2/2003 दिनांक 08.10.2003 द्वारा आवन्टित किया गया है जिसमें अप्रार्थी दिनांक 27.02.2004 से निवासरत रहा है। किराये पर आवंटी अप्रार्थी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृत हो गये हैं। इसके पश्चात् आदेश क्रमांक प.4(2)साप्र/2/2017 दिनांक 21.02.2018 द्वारा दो माह की निवास की अनुमति प्रदान की गई थी और दो माह पश्चात् रिक्त कर विभाग को सूचित करने हेतु निर्देश दिये गये थे। यह अवधि गुजरने के पश्चात् विभाग के आदेश क्रमांक प.4(2)साप्र/2/2017 दिनांक 04.12.2018

Estate Officer, Addl. District Magistrate, JAIPUR

द्वारा अप्रार्थी को राजकीय आवास रिक्त करने तथा बेदखली की कार्यवाही अमल में लाये जाने का नोटिस दिया गया परन्तु आवंटी द्वारा आवास को रिक्त नहीं किया गया और निर्धारित अवधी के पश्चात बतौर अतिक्रमी उपभोग कर रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी से राजकीय आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर को रिक्त कराया जाकर वास्तविक कब्जा दिलाया जावे एवं नियमानुसार किराया/ हर्जा राशि वसूल कराई जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये डाक जवाब प्रस्तुत किया गया है जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी बावजूद सूचना वरवक्त बहस अनुपस्थित रहा। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी द्वारा जरिये डाक जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक डबल किराया जमा कराया जाना जाहिर किया है और कथन किया है कि वे इस आवास में बतौर अतिक्रमी निवास नहीं कर रहे है साथ ही यह भी निवेदन किया है कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनके द्वारा आवास रिक्त नहीं किया जा सका है पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण अविवाहित पुत्री के साथ आवास में निवासरत हूँ। स्वास्थ्य के कारणों से और वर्तमान परिस्थितियों के कारण आवास को खाली करने में असमर्थ हूँ इसके बावजूद भी परिस्थितियां सामान्य होने पर शीघ्रातिशीघ्र आवास को खाली कर दूंगा।

प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि प्रकरण अधीन आवास राजकीय आवास संख्या–II/18, जलपथ है, जो गांधीनगर, जयपुर में स्थित है। इस राजकीय आवास को राजकीय आवास आवंटन नियम,1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थी को सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2), विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(1)साप्र/2/2003 दिनांक 08.10.2003 द्वारा आवन्टित किया गया है जिसमें अप्रार्थी दिनांक 27.02.2004 से निवासरत रहा है। किराये पर आवंटी अप्रार्थी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृत हो गये हैं। इसके पश्चात् अप्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर आदेश क्रमांक प.4(2)साप्र/2/2017 दिनांक 21.02.2018 द्वारा दो माह की निवास की अनुमति प्रदान की गई थी और दो माह पश्चात् रिक्त कर विभाग को सूचित करने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार आवंटी को सेवानिवृति के परिणाम–

स्वरुप सेवानिवृत होने की तिथि से दो माह की अवधि में आवास को रिक्त कर कब्जा सम्भलाया जाना आवश्यक है, इसके पश्चात् दो माह की समयावधि और बढाई गई है यह अवधि गुजरने के पश्चात् भी आवास रिक्त नहीं किये जाने पर आवास को रिक्त किये जाने हेतु नियमानुसार नोटिस क्रमांक प.4(2)साप्र/2/2017 दिनांक 04.12.2018 दिये जाने के पश्चात् भी राजकीय आवास को रिक्त कर वापिस कब्जा नहीं सम्भलाया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के परिणामस्वरूप सेवानिवृति की दिनांक के पश्चात् आवास हेतु बढाई गई दो माह की अवधि गुजरने के पश्चात् भी राजकीय आवास में अप्रार्थी द्वारा निवास किया जा रहा है अर्थात राजकीय आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर में बतौर अतिक्रमी अधिवास किया जा रहा है। आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास को रिक्त कर प्रार्थी को कब्जा नहीं संभलाये जाने के कारण राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत प्रार्थी कब्जा प्राप्त करने का तथा हर्जा/किराया राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामील होने पर अप्रार्थी द्वारा जरिये डाक जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक डबल किराया जमा कराया जाना जाहिर किया है और कथन किया है कि वे इस आवास में बतौर अतिक्रमी निवास नहीं कर रहे है साथ ही यह भी निवेदन किया है कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनके द्वारा आवास रिक्त नहीं किया जा सका है पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण अविवाहित पुत्री के साथ आवास में निवासरत हूँ। स्वास्थ्य के कारणों से और वर्तमान परिस्थितियों के कारण आवास को खाली करने में असमर्थ हूँ इसके बावजूद भी परिस्थितियां सामान्य होने पर शीघ्रातिशीघ्र आवास को खाली कर दूंगा। अप्रार्थी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और अपने जवाब में भी ऐसे तथ्यात्मक बिन्दु मय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिनसे उनके जवाब में किये गये कथन की पुष्टि होती हो। यहां तक कि अप्रार्थी द्वारा विभाग में भी आवेदन कर आवास आवंटन की अवधि नहीं बढवाई गई है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी कानून का उल्लंघन करने का आदि है और कानून सम्मत राजकीय आवास को रिक्त करना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को राजकीय आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर से बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा दिया जाये।

हमने प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रहलाद

रावत का कथन रहा है कि राजकीय आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(1)साप्र/2/2003 दिनांक 08.10.2003 द्वारा अप्रार्थी सुभाष चन्द्र शर्मा, वित्तीय सलाहकार को आवंटित किया गया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर के नोटिस क्रमांक प 4(2)साप्र/2/2017 जयपुर दिनांक 04.12.2018 में अंकित तथ्यों से होती है। अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवंटित आवास को आवंटन नियमों की शर्तों एवं दो माह की अवधि बढाई जाने के अनुसार सेवानिवृति दिनांक 31.01.2018 के पश्चात् दो माह की अवधि गुजरने के बावजूद भी रिक्त कर कब्जा नहीं संभलाये जाने पर शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर के नोटिस क्रमांक प 4(2)साप्र/2/2017 जयपुर दिनांक 04.12.2018 द्वारा आवंटी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत वित्तीय सलाहकार को आवंटित आवास को रिक्त कर कब्जा संभलाये जाने हेतु सूचित किया गया है परन्तु आवंटी द्वारा आवंटित राजकीय आवास को रिक्त कर प्रार्थी को कब्जा नहीं संभलाया गया है जिससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि आवंटी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत वित्तीय सलाहकार सेवानिवृति दिनांक 31.01.2018 के दो माह की अवधि के पश्चात् से बतौर अप्राधिकृत रूप से राजकीय आवास का उपभोग किया जा रहा है। इस न्यायालय द्वारा भी अप्रार्थी को अधिनियम की धारा 4 उप धारा (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है परन्तु बावजूद सूचना अप्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित रहा है अपना जवाब जरिये डाक प्रेषित किया है जिसमें दिनांक 30.06.2021 तक डबल किराया जमा कराया जाना जाहिर किया है और शीघ्रातिशीघ्र आवास को रिक्त किये जाने हेतु प्रार्थना की है। डबल किराया जमा कराये जाने पर भी आवंटन अवधि गुजरने और आवंटन शर्तों का उल्लंघन किये जाने के बावजूद निवास करने का वैध अधिकार अप्रार्थी को प्राप्त नहीं होता है। इसके उपरांत भी अप्रार्थी को आवंटित राजकीय आवास में निवास करने की लगभग 05 माह की समयावधि गुजरने को है परन्तु अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास को रिक्त कर कब्जा नहीं सम्भलाया गया है और पत्रावली पर ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अप्रार्थी द्वारा विभाग को आवेदन कर आवास में वैध रूप से निवास करने की अवधि बढवाई गई हो जिससे यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी बिना किसी वैध कारण के राजकीय आवास में निवास कर रहा है। उक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर पर अप्राधिकृत रूप से अधिवास किया जा रहा है, प्रार्थी, राजस्थान सार्वजनिक

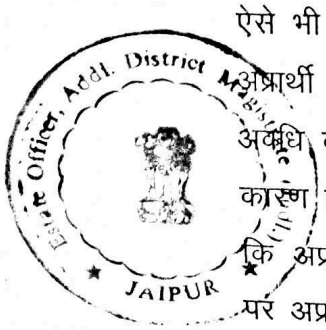

भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर को रिक्त कराये जाने हेतु पात्र है।

आदेश

(फॉर्म–बी)

इस प्रकार मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता ऊपर अंकित किये गये कारणों से संतुष्ट हूँ कि श्री सुभाष चन्द्र शर्मा राजकीय आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर (जिसको नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है) पर अनाधिकृत रूप से काबिज है।

अब, इसलिए राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इसके द्वारा आदेशित किया जाता है कि श्री सुभाष चन्द्र शर्मा और जिस किसी के अनाधिकृत रुप से यह परिसर अथवा इसका कोई भाग कब्जे में है, इस निर्णय के प्रकाशन की 30 दिवस की अवधि में खाली कर दें। इस आदेश की ऊपर अंकित की गई अवधि में अनुपालना करने से इंकार करने अथवा विफलता की स्थिति में श्री सुभाष चन्द्र शर्मा और जिस किसी के अनाधिकृत रुप से यह परिसर अथवा इसका कोई भाग कब्जे में है, से बेदखल किये जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

अतः अनाधिकृत रूप से काबिज को निर्देश दिये जाते है कि वे गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय आवास संख्या–II/18, जलपथ को 30 दिवस में रिक्त कर प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को कब्जा सम्भला दे। प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को आदेश दिये जाते है कि आदेश की एक प्रति आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर के बाहर दरवाजे पर चस्पानगी करें साथ ही उपरोक्त निर्धारित अवधि उपरान्त उक्त परिसर के कब्जे के लिये जाने हेतु धारा 5(2) के तहत अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को अधिकृत किया जाता है।

अनुसूची

" राजकीय आवास संख्या–II/18, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर"।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Estate Officer, Addl. District Magistrate (Judl.) JAIPUR

(डॉ0 गिरीश पाराशर)
ESTATE OFFICER
(Addl. District Magistrate Judl.)
JAIPUR